सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 13- जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहरों का रखरखाव कार्य

विषय 13.3 : कार्यों की तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यों को कराए जाने हेतु एजेंसी का चयन

विषय -13.3

कार्यों की तकनीकी , वित्तीय स्वीकृति तथा एजेंसी का चयन

मॉड्यूल 13 के विषय :

13.1 नहर का वाक थ्रू तथा कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण

13.2 कार्यों का प्राक्कलन बनाना

13.3 कार्यों की तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यों को कराए जाने हेतु एजेंसी का चयन

13.4 कार्यों की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा भुगतान

1- <u>कार्यो की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति</u>

जल उपभोक्ता समिति द्वारा कराए जाने वाले कार्यो का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को दो प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्राक्कलन की तकनीकी रूप से जाँच की

जायेगी। जिसमें प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की मात्राओं का तथा प्रस्तावित कार्यो की माप का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत सत्यापन भी सक्षम अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कराया जायेगा। साथ ही साथ विभिन्न मदों की ली गयी दरों की भी नियमानुसार विभागीय प्रचलित दरों के आधार पर जाँच की जायेगी। इस प्रकार जल उपभोक्ता समिति द्वारा प्रेषित प्राक्कलन पर विभाग द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के साथ प्राक्कलन में उल्लिखित कार्यो से सम्बन्धित विशिष्टियों तथा चेक लिस्ट एवं संक्षिप्त नोट (कार्यो का विवरण, मजदूरों की संख्या, सामग्री की मात्रा आदि) भी जल उपभोक्ता समिति को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे समितियों को कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त हो सके।

किसी वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी प्राक्कलन पर प्रदान की गयी तकनीकी स्वीकृति की वैधता उसी वित्तीय वर्ष में होगी जिस वित्तीय वर्ष के अन्दर कार्य कराया जाना है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व यदि अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात् उस कार्य का नया प्राक्कलन तैयार किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा कार्य नये प्राक्कलन के आधार पर कराया जायेगा।

जल उपभोक्ता समितियों द्वारा नहरों के अनुरक्षण हेतु किये गये वाक-थ्रू में चिन्हांकित कार्यो एवं उन पर आने वाले व्यय का विवरण तैयार कर नहरों की प्रबन्धन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबन्धन समिति द्वारा धन की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रस्तावित कार्यो में से कराये जाने वाले कार्यो पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा एवं तद्नुसार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। प्रशासनिक अनुमोदन का विवरण समिति द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन पंजिका में अंकित किया जायेगा।

जिन कार्यों का इस्टीमेट पास हो गया है तथा जिनको कराने के लिए जल उपभोक्ता समिति तैयार है उन को कराने के लिए ठेकेदार /व्यक्ति / एजेंसी का चयन किया जाना चाहिए। यहां पर यह जानना जरूरी है कि जल उपभोक्ता समिति का कोई भी सदस्य स्वयं अपनी हैसियत से कार्य नहीं करायेगा।

कार्य कराने की पद्धति में सर्वप्रथम सीधे मस्टररोल (श्रमिक) लगाकर कराया जा सकता है। तथा अपनी इच्छा से श्रमदान द्वारा भी कराया जा सकता है अथवा ठेकेदार लगाकर भी कराया जा सकता है।

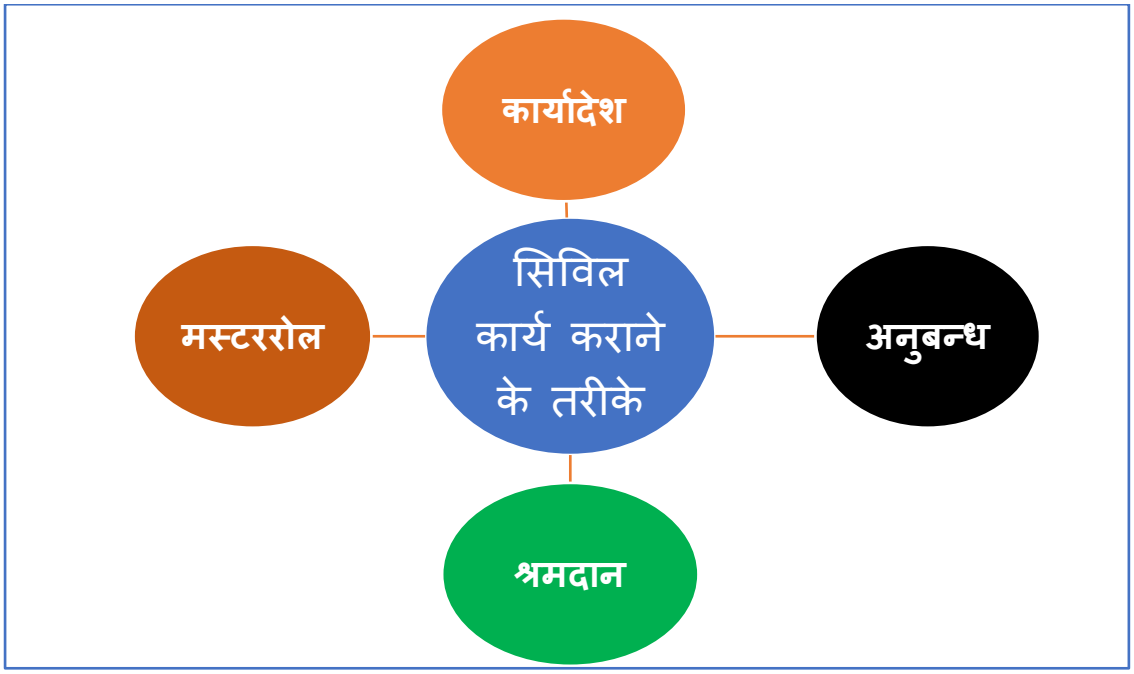

ठेकेदार द्वारा कार्य कराने के लिए उसके नाम से एक कार्यादेश (वर्कऑर्डर) किया जायेगा या उसके साथ एक अनुबन्ध (कॉन्ट्रैक्ट) किया जायेगा जिसमें उसे यह लिखित बता दिया जायेगा कि क्या कार्य करना है, कार्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कार्य की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, कैसे कार्य करना है, कितने समय में कार्य पूर्ण करना है तथा कितना भुगतान किया जायेगा।

यह भी बताया जाता है कि समय से अच्छी गुणवत्ता से कार्य नहीं किया तो उसके भुगतान से कितनी कटौती दण्ड स्वरूप की जा सकती है।

2- अनुबन्ध द्वारा कार्य कराने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी:

<u>टेण्डर निकालना / कार्य आवंटन-</u> कार्य कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। इसके लिए एक निविदा समाचार पत्र में भी निकाली जायेगी कि जो ठेकेदार इस कार्य को करने का इच्छुक हो वह इसी निविदा में अपने द्वारा कार्य करा सकने की दर भर कर जमा कर दें। दूर-दूर के जो भी ठेकेदार इस कार्य को करने के इच्छुक होते हैं उस निविदा (जिसमें कार्य की मात्रा तथा दर का खाली कालम दिया रहता है) में अपनी-अपनी दर भर कर जमा कर देते हैं। जिस ठेकेदार की कार्य कराने की लागत सबसे कम आती है उसी ठेकेदार को कार्य करने के लिए अनुमति दे दी जाती है और उसी ठेकेदार से कार्य कराया जाता है।